

93 / 2022

दिनांक : 07.07.2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई।

वाद पुकारा गया।

राज्य की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार न्यायालय में उपस्थित है। इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 27.06.2022 द्वारा गठित समिति की आख्या प्राप्त नहीं है। न्यायहित में तिथि मुलतवी की जाती है।

पत्रावली अग्रिम आदेश हेतु दिनांक 18.07.2022 को प्रस्तुत हो।

(सचिन कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।